[illegible] v/s आमेश

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बडौरिया ने कानूनी बिन्दुओं को अनदेखा कर, अभिलेख का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 को वैधानिक वारिस मानकर स्वीकृत कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने खातेदार पत्नी का स्वर्गवास होने पर ग्राम पंचायत बडौली को अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर रखा है, फिर भी अधीनस्थ ग्रा.पं. बडौली ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के, बिना अपीलान्ट को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जिससे अपीलान्ट पार्टी के हित प्रभावित होने अपील प्रस्तुत है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से ग्रा.पं. धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत बडौली द्वारा दिनांक 20/5/2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06/02/2023 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त करने से हुई, जिसकी अपील प्रस्तुत की। अतः निवेदन है कि अपील बहक अपीलान्ट विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत बडौली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 764 स्वीकृत दिनांक 20/5/2022 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात अपीलान्ट के नाम स्वीकृत करवाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध दिनांक 12/07/2023 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट 4 की ओर

...लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

पाबन्दशुदा 1/5 अमिक्षा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सुनवाई एवं मृतक गोपीदेवी के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति वास्ते अमल तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़